

उनवानी प्रकरण:- सरकार बनाम अमरलाल पुत्र लड्डू जाति जाट


मु.न.:- 95/2025

कि0मु0:- प्रार्थना पत्र

धारा 136 एल.आर. एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय निशियल्स जज	नम्बर व तारीख
30.12.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अमरलाल पुत्र लड्डू जाति जाट निवासी कारौली ताराचन्द के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी ग्राम कारौली ताराचन्द के सम्बत् 2077-2080 के खाता संख्या 66, 65 द्वारा रिकार्डेड खातेदार काश्त कार है जिसमें प्रार्थी का नाम अमरया के स्थान पर सही नाम अमरलाल शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया। जिसकी जांच तहसीलदार खण्डार द्वारा करवाये जाने पर तहसीलदार खण्डार से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम अमरलाल पुत्र लड्डू है जिसे दुरुस्त किये जाने की अभिशंषा की गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी का सही नाम अमरलाल होना अंकित है।</p> <p>प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कारौली ताराचन्द के सम्बत् 2077-2080 के खाता संख्या 65, 66 में अमरया के स्थान पर सही नाम अमरलाल शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	



  
उपखण्ड अधिकारी  
खण्डार (सवाई माधोपुर)

